हुक्मनामा

82/2001

2/1/04

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। वादी गण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं हुये। अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO, BHINAI
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)